08/2016 जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 08/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्तकता) श्रीगंगानगर

Web Copy - Not Official

11–02–2017

पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 24.12.2015 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर से चाही गई 8 बिन्दूओ सूचना उनके द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

उनका आगे कथन है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना का संबंध नगर परिषद व निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी, श्रीगंगानगर से बताया गया है। इसलिए अपीलार्थी का प्रा0 पत्र प्राप्ति से 5 दिवस के भीतर धारा 6(3) के तहत संबंधित विभाग को भिजवाया जाना चाहिए था जो विलम्ब से भिजवाया गया है। इसलिए माननीय सूचना आयोग की अपील सं0 852/2010 राधेश्याम गोयल बनाम वरिष्ठ लेखाधिकारी जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर में पारित निर्णय 29.10.2010 व अपील सं0 4580/2015 राधेश्याम गोयल बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक एवं सुधार विभाग निर्णय दिनांक 20.09.2016 के अनुसार संबंधीत विभाग से सूचनांए मंगवा कर दी जावे।

लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि का कथन है कि अपीलार्थी का यह कथन कि उसे सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है, सही नही है। अपीलार्थी को उसके आवेदन पत्र के संबंध में पत्र सं0 6 दिनांक 05.01.2016 के द्वारा समय अवधि में उत्तर दिया जा चुका है। इसलिए अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 24.12.2015 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1. आपके पत्रांक 2758 दिनांक 11.12.2015 जो आयुक्त नगर परिषद श्रीगंगानगर को संबोधित है वह प्रार्थी के जिस पत्रांक व दिनांक के आधार पर कार्यवाही हेतु भेजा गया है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
3. आयुक्त नगर परिषद श्रीगंगानगर द्वारा उक्त पत्र के जवाब में जो कार्यवाही की गयी उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. पत्र पर कार्यवाही आयुक्त नगर परिषद द्वारा न करने पर आयुक्त के विरूद्ध आपके आदेशों की अवहेलना करने पर उसके विरूद्ध जो कार्यवाही की गयी है उसकी सूचना व जो कार्यवाही की जाने का प्रावधान विभागीय नियमों में है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. नगर परिषद श्रीगंगानगर में आपके पत्रांक 2758 दिनांक 11.12.2015 पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. आपके पत्र की पालना न करने पर संबधित अधिकारी को स्मरण पत्र लिखे जाने बाबत समय सीमा के विभागीय नियम की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
7. आपके द्वारा पत्रांक 2758 दिनांक 11.12.2015 से नगर परिषद आयुक्त श्रीगंगानगर को पत्र लिखे जाने के उपरांत पत्र की विषय वस्तु के संबध में पालना न करने पर आप द्वारा जो कार्यवाही विभागीय नियमानुसार की जाती है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
8. आप द्वारा प्रार्थी से संतुष्ट न किये जाने पर प्रार्थी को जो उपाय उपलब्ध है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

P. T. O

08/2016 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक विभागीय लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट) श्रीगंगानगर ने अपने जबाब सं0 115 दिनांक 27.01.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 06 दिनांक 06.01.2016 के द्वारा निम्नानुसार उपलब्ध करवाई गई है:-

क0सं0	चाही गयी सूचना	जवाब
1.	आपके पत्रांक 2758 दिनांक 11.12.2015 जो आयुक्त नगर परिषद श्रीगंगानगर को संबोधित है वह प्रार्थी के जिस पत्रांक व दिनांक के आधार पर कार्यवाही हेतु भेजा गया है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	यह पत्र आपके कमांक 5462 दिनांक 08.12.2015 के आधार पर भेजा गया।
2.	पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।	सूचना लोक प्राधिकरण नगर परिषद से सबंधित है। आपका प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत अंतरित किया जा रहा है।
3.	आयुक्त नगर परिषद श्रीगंगानगर द्वारा उक्त पत्र के जवाब में जो कार्यवाही की गयी उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।	सूचना लोक प्राधिकरण नगरपरिषद से संबधित है। आपका प्रार्थना पत्र धारा 6(3) तहत अंतरित किया जा रहा है।
4.	पत्र पर कार्यवाही आयुक्त नगर परिषद द्वारा न करने पर आयुक्त के विरूद्ध आपके आदेशों की अवहेलना करने पर उसके विरूद्ध जो कार्यवाही की गयी है उसकी सूचना व जो कार्यवाही की जाने का प्रावधान विभागीय नियमों में है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	इस हेतु स्वायत शासन विभाग सक्षम है।
5.	नगर परिषद श्रीगंगानगर में आपके पत्रांक 2758 दिनांक 11.12.2015 पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	सूचना लोक प्राधिकरण नगर परिषद से सबंधित है। आपका प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत अंतरित किया जा रहा है।
6.	आपके पत्र की पालना न करने पर संबधित अधिकारी को स्मरण पत्र लिखे जाने बाबत समय सीमा के विभागीय नियम की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	समय सीमा निर्धारित नही है।
7.	आपके द्वारा पत्रांक 2758 दिनांक 11.12.2015 से नगर परिषद आयुक्त श्रीगंगानगर को पत्र लिखे जाने के उपरांत पत्र की विषय वस्तु के संबध में पालना न करने पर आप द्वारा जो कार्यवाही विभागीय नियमानुसार की जाती है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	सूचना रिकार्ड/अभिलेख के रूप में इस लोक प्राधिकरण में संधारित नही है।
8.	आप द्वारा प्रार्थी से संतुष्ट न किये जाने पर प्रार्थी को जो उपाय उपलब्ध है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।	सूचना रिकार्ड/अभिलेख के रूप में इस लोक प्राधिकरण में संधारित नही है।

जहां तक बिन्दु संख्या 2 से 8 की सूचनांए उपलब्ध करवाने का प्रश्न है। बिन्दु सं0 2 से 8 में आवेदक द्वारा प्रश्न पूछे गये है। बिन्दु संख्या 3 व 5 नगर परिषद श्रीगंगानगर से संबंधित होने के कारण आवेदन उक्त प्राधिकरण को हस्तगत किया जा चुका है। शेष सूचनांए अभिलेख के रूप में संधारित नही है।, अतः धारा 2(च) के अनुरूप सृजन किया जाकर सूचना प्रदान किया जानास सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में नही आता। अपील सव्यय निरस्त फरमाई जावे।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अनुसार अगर आवेदक द्वारा चाही गई सूचनांए यदि लोक सूचना अधिकारी के नियन्त्रणाधीन नही है तो उसे 5 दिवस की निर्धारित अवधि में संबंधित लोक सूचना अधिकारी को नियमानुसार अन्तरण करनी चाहिए थी जो निश्चित अवधि में अन्तरण नही की जानी प्रतीत होती है। इसलिए माननीय सूचना आयोग के उक्त निर्णयो को ध्यान में रखते हुए लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि इस आदेश प्राप्ति से 10 दिवस के भीतर संबंधित विभाग से वांछित सूचनांए अपने स्तर से एकत्रित कर अपीलार्थी को निशुल्क उपलब्ध करवावें।

उपरोक्तानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर